न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 22 /2022

अब्दुल रहीम अंसारी निवासी ग्राम पोस्ट राजमहल तहसील देवली जिला टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली
--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 1-08-2022**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 28.04.2022 प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र कमांक 2022/446 दिनाक 3.06.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली जिला टोंक को प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

ग्राम पंचायत राजमहल तहसील देवली जिला टोंक के चरागाह, गैर मुमकिन तालाब एवं गैर मुमकिन पाल अतिकमण हटाने हेतु आपको दिनांक 23.12.2021 को एवं आवेदन पत्र में अंकित उच्च अधिकारियो को दिनांक 09.12.2021 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया था उक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण के सम्बंध में कार्यालय को निर्देशित पत्रों एवं प्रकरण के संबंध में की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रतिलिपिया उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को पत्र कमांक 631 दिनांक 16-06-2022, 670 दिनांक 30.06.2022 व 749 दिनांक 25.07.2022 प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की गई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:32:03 IST
Reason: SelfAttested

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली जिला-टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:32:03 IST
Reason: SelfAttested